AIDWA

# जुलाई न्यूज लेटर

## अनुक्रमणिका


- संपादकीय
- श्रद्धांजली - मैथिली शिवरमन
  रंजना नरूला
- गहरे अंधेरे की बीच फूटती सुनहरी किरणें - मरियम ढवले
- राम के नाम पर घोटाला - सुभाषिनी अली
- टीकाकरण को लेकर फैलते भ्रम - मधु गर्ग
- नूंह में हुआ नागरिक सम्मेलन - सविता
- पिंजरा तोड़ के बाहर आये नौजवान - मंजीत
- वैक्सीन को लेकर फैलाये जा रहे झूठ - मधु गर्ग

## सम्पादकीय

पिछले दिनों की घटनाओं ने तमाम भ्रम तोड़ दिये हैं। बड़ी क्रूरता के साथ समाज ने हमे याद दिला दिया है कि हम महिलाएं आज भी अपने परिवारों, अपनी ससुरालों, अपने समुदायों – यह कहिए कि समस्त समाज के लिए – के लिए केवल उनकी निजी संपत्ति हैं, उनकी प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। हमारी अपनी मर्ज़ी और इच्छा की कोई एहमियत नहीं है। हमारे लिए तमाम महत्वपूर्ण फैसले दूसरे करेंगे। उनके लिए हमारी खुशी और हमारी सुरक्षा नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, उनका सामाजिक स्तर, उनकी इज्ज़त उनको हमारे भविष्य के बारे मे फैसले करने के लिए प्रेरित करेगी।

27 जून को, कानपुर शहर मे एक महिला ने बहुत समय तक अपनी ससुराल मे हिंसा और अपमान बर्दाश्त किया। फिर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने पहले एक पत्र अपने माँ-बाप को लिखा। उसमे उनसे माफी मांगी और लिखा 'शादी के दो वर्ष हो गए, कोई मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है...अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं जा रही हूँ...बहन की शादी अगर अरेंज्ड मैरिज करना तो एक दूसरे से जान पहचान के बाद।'

दूसरे दिन, एक अन्य महिला की 'संदिग्ध' परिस्थितियों मे मौत की खबर अखबारों मे मिली। दरअसल यह उत्तर भारत के हर कोने की रोज़ की खबरे हैं।

चौंकाने वाली खबरे तो केरला से आयीं और फिर कश्मीर से।

केरला मे दो दिन मे दो महिलाओं का ससुराल मे ज़बरदस्त शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न सहन करने के बाद हुई मौतों की खबर आई। एक के शादी तो माँ-बाप ने बहुत जल्दबाज़ी मे कर डाली थी क्योंकि उन्हे किसी ज्योत्षि ने बताया कि अगर एक साल के अंदर शादी नहीं होती तो लड़के 27 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते मर जाएगी। तो बिना जाँचे-पारखे ऐसे लड़के के साथ शादी कर दी जिसका एक अन्य रिश्ता इस लिए टूट गया था कि उसके माँ-बाप दहेज की बहुत अधिक मांग कर रहे थे। शादी तो माँ-बाप ने उसकी जान बचाने के लिए की लेकिन जान उसकी बहुत जल्दी चली गयी। इसके बाद, कई शादी-शुदा महिलाओं से आन-लाइन बात चीत के दौरान केरला की महिला आयोग को बताया गया कि न जाने कितनी महिलाएं हिंसा और अत्याचार बर्दाश्त कर रही हैं और अपना मुंह नहीं खोल रही है। समाज का डर, माँ-बाप की इज्ज़त का ख्याल और अपने आप को असहाय महसूस करना, इन सब बातों ने उनकी बात को दबा कर रख दिया।

कश्मीर से अचानक गरमागरम खबर आई की कई सीख महिलाओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर उनसे शादी की जा रही थी। फिर बात सामने आई कि अभी एक महिला के साथ ऐसा हुआ है और उसे एक 60 साल के बुड्ढे के साथ, बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन के बाद ब्याह दिया गया है। उस महिला को पुलिस थाने ले आई। उसने बयान दिया कि वह अपनी मर्ज़ी से एक 29 साल के मुस्लिम पुरुष के साथ चली गयी थी। कानूनी अधिकार तो उसका था ही लेकिन समुदाय और परिवार के सामने पुलिस-प्रशासन असहाय साबित हुआ।

दिल्ली से सरदारों के प्रतिनिधि जम्मू पहुंचे, उकसाई गयी भीड़ ने थाने को घेरा, तमाम शहरों मे सिखों ने उग्र प्रदर्शन किए, 'लव जेहाद' के खिलाफ नारे गूंजने लगे और, इस सबके बीच, उस लड़की को उसके घेर वालों के सुपुर्द कर दिया गया और सिखों के प्रतिनिधियों ने उसकी शादी एक गुरुद्वारे मे एक सिख लड़के के साथ कर दी।

इस घटनाक्रम के आस-पास, दो दंपत्नियों पर दिल्ली और कर्नाटक मे जानलेवा हमले हुए। कर्नाटक की दंपत्नी मे पुरुष दलित था और महिला मुस्लिम। दोनो को महिला के घरवालों ने बेरहमी से मार डाला। दिल्ली वाली दंपत्नी दोनों ही जाट थे लेकिन एक ही गोत्र के इसलिए लड़की के भाई ने दोने पर वार किया। पति तो मर गया, पत्नी अस्पताल मे गंभीर स्थिति मे है।

15 साल पहले, हमने आइडवा कि ओर से देश भर मे सर्वेक्षण किया था जिसमे हर समुदाय के हर वर्ग से हमने बेटियों की शादियों के संबंध मे सवाल पूछे थे। हिंदुओं की हर जाति के लोगों ने, आदिवासियों ने, मुस्लिम और ईसाई समुदाई के लोगों ने, सबने यही जवाब दिया कि 1990 के दशक मे कुछ ऐसा हुआ कि लड़कियों की शादियाँ कठिन और महेंगी होने लगीं। जिन समुदायों मे कुछ ही साल पहले तक, शादियाँ बहुत सरल और सस्ती होती थीं, उनमे भी दहेज की मांग और महंगी शादी की मांग होने लगी। इससे स्पष्ट था कि नव-उदारवादी नीतियों के चलते सामाजिक रिश्ते भी बाज़ार द्वारा तय किए जा रहे थे। बाज़ार तय करने लगा कि शादी मे कैसी कैसी रसमे होंगी, कैसे कैसे कपड़े पहने जाएँगे। अगर यह सब नहीं किया जाएगा तो लड़की वालों की नाक कट जाएगी। इसी के साथ, बाज़ार यह भी सिखाने लगा कि अगर ससुराल मे लड़को को प्यार और इज्ज़त पाना है तो उसे अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जाना होगा। बाज़ार को ज़िंदा रखने और फलने-फूलने मे शादियाँ बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। वे लोग भी जो स्वास्थ, खान-पान और बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं, वे भी लड़की की शादी 'ठीक' से करने के लिए कर्जा लेते हैं, अपनी संपत्ति बेचते हैं, कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं।

आइडवा के सर्वेक्षण के नतीजों ने इस बात की पुष्टि की कि पूंजीवाद और पुरुषप्रदधानता एक दूसरे के पोषक हैं। नव-उदारवाद तो पूंजीवाद का ही विकत और अधिक शोषण करने वाला रूप है इसलिए उसके चलते, पुरुषप्रदधानता भी और ज़्यादा क्रूरता के साथ पेश आता है।

हमारे समाज मे एक अन्य संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने मे बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, यह है वर्णव्यवस्था। इस प्रणाली को ज़िंदा रखने वाले लोग – और यह हर धार्मिक समुदाय मे बड़ी संख्या मे पाये जाते हैं – अपने परिवारी की महिलाओं की शादियाँ अपने ही जाति के अंतर्गत करने पर आमादा होते हैं। अगर कोई महिला जाति की लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस करती है, खास तौर से अगर वह अपनी जाति से नीची जाति के पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो इसके सज़ा बहुत ही कठोर होती है। अक्सर उसको पति के साथ मार ही डाला जाता है। स्वाभाविक है कि अंतरधार्मिक विवाह के प्रति भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

पूंजीवाद, पुरुषप्रदधानता और जातिवाद के चलते, महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया जाता है। उनकी इच्छा, उनके भावनाओं, सबका कत्ल कर दिया जाता है। अगर वह फिर भी विद्रोह करती हैं, तो उनका भी कत्ल कर दिया जाता है। या फिर, जैसा कि जम्मू मे हुआ, उनको ज़बरदस्ती भेद-बकरी की तरह, किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है।

यह बहुत ही आशान्वित करने वाली बात है कि हाल की घटनाओं ने केरला की बाम मोर्चा सरकार कि आत्मा को झकझोर दिया है। केरला के मुखी मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार महिलाओं की आवाज़ सुनने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए हर क्षण तयार रहेगी। उन्होने यह भी कहा कि तमाम पाठ्य पुस्तकों की छानबीन की जाएगी और महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली उन्हे नबरबर ठहरने वाली बाते सब निकाल दी जाएंगी। इसी के साथ, केरला की सीपीआईएम राज्य कमेटी ने 'स्त्री पक्ष केरलम' अभियान चलाने का फैसला लिया है जिसके माध्यम से पूरे राज्य मे महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के बारे मे लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तमाम जन संगठन भी इसमे भाग लेंगे।

भारत का संविधान महिलाओं को बराबर के अधिकार देता हैं। इन पर प्रहार करने वाले लोगों को, चाहे वह कोई भी हों – परिवर्जन, ससुराल के लोग, समुदाय के तथाकथित प्रतिनिधि, धार्मिक गुरु – अपराधी ठहरकर दंडित किया जाना आवश्यक है।

सुभाषिनी अली

**श्रद्धांजलि**

# अग्निगर्भा मैथिली शिवरामन

30 मई को कोविड ने हमारी एक और प्रिय साथी 82 साल की मैथिली शिवरमन को हमसे छीन लिया।

मैने उन्हे पहली बार अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की कुछ बैठकों में 90 के दशक में देखा था। एक दुबली पतली कद की छोटी सी महिला बैठक में सबसे आगे की पंक्ति में बैठी दिखती थीं और कुछ न कुछ लिखती रहती थीं । कामरेड बृंदा करात तब जनवादी महिला समिति की महासचिव थीं। मैने देखा कि यह साथी जब बोलने के लिये खड़ी होतीं तो बेहद मीठी और धीमी लेकिन बेहद मजबूती से अपनी बात रखतीं। मैने देखा था कि जब वे बोलतीं तो कामरेड बृंदा भी उनकी हर बात को नोट कर रहीं होतीं। तब हमारी बैठकें 14 अशोका रोड के बंगले में होती थीं। वहीं पर पार्टी नेतृत्व के साथी खाना खाने आते थे । एक दिन मैंने देखा कि वे कामरेड एम बासवपुनैया से बात कर रहीं थीं। किसी ने

बताया कि कामरेड एम बी ही उनसे बात करने यहां पर आये हैं। सुनकर मैं समझ गयी कि यह साथी कुछ खास है। बाद में मुझे किसी ने उनका नाम बताया। मैथिली शिवरमन।

दुनियां में जब भी कहीं पर किसी भी देश में जनता अपने अधिकारों के लिये सत्ताधारियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिये उठ खड़ी होती है तो उसका असर दुनियां भर के प्रगतिशील,जनतांत्रिक और आम जनता के हकों के लिये आवाज उठाने वालों पर होता है और उन्हे यह संघर्ष ताकत देता है। रूसी क्रांति ने साम्राज्यवादी ताकतों की जड़ों को हिला दिया था और एक एक करके सैकडों देशों में फूटे लोकतांत्रिक उभारों ने पूरी ताकत के साथ साम्राज्यवादी जंजीरों को तोड दिया था। रूसी क्रान्ति के बाद पूंजीवादी दुनिया में आये वैश्विक आर्थिक संकट ने स्पेन में सेना द्वारा किये गये तख्ता पलट के जवाब में 1936 में पूरे स्पेन में मजदूरों ने क्राति की मशाल जला ली। इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसने भारत में भी आजादी के आंदोलन को मजबूती दी और इस आंदोलन के नेताओं की विचारधारा को एक दिशा दी। ठीक इसी तरह से साठ के दशक में अमरीका और फ्रांस के द्वारा सुदूर वियतनाम के खिलाफ चलाये गये युद्ध के खिलाफ भी युवा,बुद्धिजीवी, साहित्यकार और जनतांत्रिक आंदोलनों के नेतृत्वकारी लोग न केवल एकजुट हुये  बल्कि अपने अपने देशों में जनाधिकारों की लड़ाई के अगुआ बने या अगुआ दस्तों में शामिल हुये। इनमें से कई अपने अपने देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों की नेतृत्वकारी कतारों में भी शामिल हुये। यहां पर यह याद रखना होगा कि किसी भी देश में अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज़ उस देश का ''आंतरिक'' मामला नहीं होती (!!) बल्कि दुनियां के हर उस इन्सान की आवाज में उसकी गूंज सुनाई देती है जो खुद अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।

साठ के दशक के भारत के युवक युवतियां युवा जो विदेशों में पढ़ कर अच्छी नौकरियों की तलाश में थे वे भी अमरीका और यूरोप के देशों में वियतनाम पर अमरीकी हमलों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में शामिल हुये। इनमें से कई भारत लौटकर मजदूरों,महिलाओं और युवाओं के साथ साथ वामपंथी आंदोलनों के नेतृत्वकारी साथी बन गये।  कामरेड मैथिली शिवरमन भी उन्ही में से एक थीं। अमरीका की सायराकूज युनिवर्सिटी में साठ के दशक के मध्य में वे जब स्नातक की पढ़ाई करने गयीं तब अमरीका तीन तीव्र आंदोलनों की गिरफ्त में था य वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमरीकी युवाओं का आक्रोश अपने चरम पर था, रंगभेदी नीतियों के खिलाफ अफ्रिकन अमरीकनों का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था और नारीवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यह स्वाभाविक ही था कि वादविवादों, बहसों, लेखों और पुस्तकों की शौकीन मैथिली इन सबमें सक्रिय हो जातीं। पढाई के बाद संयुक्त राष्ट्र  में काम, क्यूबा पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा की गैर कानूनी तौर पर यात्रा जैसे काम धीरे धीरे उन्हे अपने उस रास्ते पर ला रहे थे जिस पर वे बाद की पूरी जिंदगी में पूरी शिद्दत और प्रतिबद्धता के साथ चलीं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष सुभाषिनी

अली ने मैथिली पर लिखे अपने लेख में इसका उल्लेख किया है। संघर्षो, आंदोलनों की जानकारी देने वाले मैथिली के लेख उनकी पुस्तक ''हॉटेड बाइ फायर'' में संग्रहित हैं।

हमारे लिये और आज की पीढ़ी के सामाजिक आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिये यह समझने की बात है कि मैथिली जितनी सक्रिय किताबें, लेख, पर्चे, रिपोर्ट लिखने और भाषण देने में थीं उतनी ही सक्रिय वे किसी भी आंदोलन में जमीन तक जाकर काम करने में भी थीं। वे तमिलनाडु के मजदूर आंदोलन में भी सक्रिय रहीं। कामगार महिलाओं की समन्वय समिति से लेकर तमिलनाडु की महिला आंदोलन की प्रसिद्ध नेता पापा उमानाथ और के पी जानकी अम्माल के साथ काम करते हुये राज्य में जनवादी महिला समिति जनवादी और वामपंथी आंदोलन के विकास में उनका अभूतपूर्व योगदान है। मजदूरों के अधिकारों का आंदोलन हो या महिलाओं के मुद्दे हों मुद्दों, दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ संघर्ष हों या आदिवासियों के अधिकारों की कानूनी लड़ाई हो मैथिली हर स्थान पर होती थीं। तमिलनाडु के जंगल विभाग द्वारा एक छोटी सी आदिवासी बस्ती वाछाती पर केवल आशंका के आधार पर किये गये हमले और उस बस्ती की 18 महिलाओं और युवतियों के साथ किये गये बलात्कार ने पूरे तमिलनाडु के जनवादी आंदोलन को भड़का दिया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व में थी मैथिली। लंबे चले कानूनी मामलों में अंततः उन महिलाओं को जीत हासिल हुयी।

ऐसे एक नहीं अनेक छोटे बडे आंदोलन उस मैथिली के नेतृत्व में किये गये जो चाहती तों संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी बड़े पद पर रहकर या फोर्ड फाउंडेशन जैसी किसी बडी फंडिंग एजेंसी के पैसे से कोई एन जी ओ चलाकर ''सोशल वर्क'' कर सकती थीं। लेकिन उन्होने कठिन रास्ता चुना। वामपंथी आंदोलनों का हिस्सा बनीं और आने वाली पीढ़ियों के लिये एक मिसाल कायम कर गयीं।
ऐसी ही मैथिलियां हैं जो मौजूदा दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की मुहिमों की धुरी हैं।

**श्रद्धांजलि**

# जिंदगी के हर क्षण में खूबसूरती तलाशने वाली रंजना नरूला

1987 की गर्मी में बंबई के सीटू के अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्हे पहली बार देखा था। एक अलमस्त सी ढीला सा सलवार कुरता पहने और हाथों में मोगरे का गजरा लपेटे एक साथी सब जगह घूमती दिखती। उनकी खिलखिलाहट कहीं भी किसी भी कोने में सुनाई पड़ सकती थी। एक दिन दोपहर के खाने के दौरान वे मेरी बगल में बैठी थीं। हैलो मैं रंजना नरूला। उन्होने मेज पर अपनी थाली रखते हुये कहा और जोर से हंसीं। आप ये गजरा हाथोें में क्यों लपेटे हुये हैं संक्षिप्त परिचय के बाद ये मेरा बेवकूफी भरा सवाल था। क्यों फूलों ने कहा है कि मुझे हाथों में मत बांधो ? उनका उलट सवाल। मैं अचकचा गयी। और फिर शुरू हुआ उनका बोलना। देखो, सामने की मेज पर लोग कितने गंभीर होकर खाना खा रहे हैं। जैसे खाने के दौरान ही क्रांति कर लेंगे। अरे जरा हंसो, बोलो, पूरे देश से इकट्ठा हुये हो अपने अनुभव बताओ। वे लगातार बोलती जा रही थीं। खाना बहुत थोडा सा। फिर मेरे सवाल पर आ गयीं। अच्छा तुमने ये क्यों पूछा कि गजरा हाथ पर क्यों बांधा। मुझ से जवाब नहीं बन पड़ा। उन दिनों में कुरता, पाजामा, कॉटन की साड़ी या सलवार कुर्ते में गंभीर मुद्रा में बहस करते कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को ही असली कम्युनिस्ट मानने की उम्र और समझ के स्तर पर थी । रंजना तब तक उस छबि में कहीं पर फिट नहीं बैठ रही थीं। लेकिन जब उन्होने बात करनी

शुरू की तो अपनी ना समझी मुझे ही समझ में आने लगी। वे कहती जा रही थीं किसने कहा कि कम्युनिस्ट का अर्थ गंदे कपड़े पहनो, गंभीर बने रहो, जिंदगी की खूबसूरती को मत पहचानो । अरे कम्युनिस्ट होने का अर्थ जिंदगी की हर खूबसूरती को पहचानना और उसका आनंद लेना है। तभी तो हम इस खूबसूरत दुनियां को बचा सकते हैं। सम्मेलन के दौरान उस वक्त टी वी पर चल रहे नुक्कड सीरियल की पूरी टीम के साथ सईद मिर्ज़ा आये थे शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने आये थे। वहां भी मुझे खींचकर सबसे आगे ले गयीं और फिर गायब हो गयीं। थोडी देर बाद कार्यक्रम के हर अच्छे सीन पर उनकी तेज खिलखिलाहट कभी इस कोने से तो कभी उस कोने से उनकी उपस्थिति का अहसास कराती रहतीं। अपनी उस छोटी सी बातचीत में उन्होने मेरी कई मुद्दों पर समझ साफ कर दी। लंबे समय तक उनकी वह हंसी और उनकी आंखें मुझे उनकी याद दिलाती रहीं। फिर लंबा समय बीत गया। हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का मध्य प्रदेश में जब काम शुरू हुआ तो का विमल रणदिवे और कामरेड नीलिमा मोइत्रा के बाद हमारी प्रभारी बनी का प्रमिला पंधे और का रंजना नरूला। तब हमने जाना उनका सगठन के प्रति और उसकी अहमियत के प्रति उनकी साफ समझ और राजनीतिक मुद्दों पर उनका बेलाग और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का साहस। राज्य समिति की हर बैठक में वे अपनी एक कॉपी लेकर आतीं ओर हमारी कही हुई हर बात को ध्यान से लिखतीं। उनकी वह पुरानी सी दिखने वाली कॉपी की भी अपनी कोई कहानी होती। वह कॉपी हमारे एक सम्मेलन से दूसरे सम्मेलन तक चलती। संगठन के प्रति हर वक्त सोचते रहने और बोलते रहने की उनकी आदत से हम लोग कई बार उनसे बात करने से घबराते। कभी भी फोन करो तो वे पूछती और ''एम'' के क्या हाल हैं ? एम यानि मेंबरशिप। वे कहतीं यह सदस्यता ही हमारे संगठन को ताकतवर बनाने की कुंजी है। इसे शुरू में ही क्वालिटेटिव बनाने के चक्कर में मत पड़ो। क्वांटिटेटिव बनाओ क्वालिटेटिव यह धीरे धीरे बन जायेगा। मास मेंबरशिप हमारे संगठन की ताकत है क्योंकि इसी में से नये कार्यकर्ता निकलेंगे और उन्हे निकालना तुम लोगों का काम है। नये कार्यकर्ताओं युवाओं को संगठन में लाने पर वे हमेशा जोर देती थी। गुना की हमारी एक साथी गीता गौतम जो असमय हमसे बिछुड गयीं उसकी कहानी लिखने के लिये उन्होने ही मुझसे कहा था। वे एक ऐसी प्रभारी थीं जो लगभग हर जिले में गयीं। किसी भी साथी के घर पर कैसे भी रहने कैसे भी खाने से उन्होने कभी कोताही नहीं की। 2004 में मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आव्हान पर हमने सात जिलों में जत्था निकाला था उसमें भी वे दो जिलों में शामिल रहीं।

एक बेहद सुशिक्षित, बल्कि विदेश में पढ़ी हुयी और अधिकांश जीवन बहार व्यतीत की हुई एक नवयुवती ने भारत आकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में काम करना चुना और न केवल चुना बल्कि निजी जीवन में बेहद नफासत पसंद होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में डीक्लास होने में गुरेज़ नहीं किया। उनके घर में शास्त्रीय संगीत बजता रहता था। बालकनी से लेकर किचन तक बिखरे पौधे और हर पौधे के बारे में उनकी जानकारी, छोटी से छोटी चीज़ को सहेज कर रखने की उनकी आदत ताकि फिर कभी काम आ सके लेकिन हर काम बेहद

खूबसूरती और नफासत के साथ करने की उनकी आदत लेकिन इसके साथ ही दूसरे साथियों से कभी भी हिकारत या डांट की भाषा में उन्हे कभी हमने बोलते नहीं सुना। उनकी ये सारी बातें ही उन्हे दूसरों से बहुत अलग करती थीं। निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास उनका घर कई बार हमारा ठिकाना बना। रात हो तो स्टेशन कभी अकेले नहीं जाने दिया। उनकी देखभाल करने वाली नफीसा के हाथ के कबाब मुझे पसंद हैं यह भी उन्हे याद रहता था। इतने अपनापन इतने अधिक स्नेह के बाद भी संगठन के अनुशासन को उन्होने हमेशा बनाये रखा। सीटू में जाने के बाद भी उनसे रिश्ता खत्म नहीं हुआ। सीटू के कार्यालय में जब सीईसी की बैठक होती तो लंच में मेरा उनके केबिन में जाना तय होता था। किताबों का खजाना था उनका घर। लेकिन वे किताबें भी उनकी जिंदगी के प्रति प्यार को दर्शाती थीं। जेनफोंडा की आत्मकथा से लेकर क्लासिकल मार्क्सिज्म की किताबें उनकी लाइब्रेरी में शामिल थी।

कामरेड रंजना नरूला को हमने कभी भी उदास, थकी हुयी, निराश, चिड़चिड़ी नाराज़ नहीं देखा। अभी भी जब से अस्पताल आना जाना कर रहीं थीं तो मुझसे बातचीत करते हुये भी वे कभी उदास या थकी हुयी नहीं दिखीं। बल्कि इस महामारी के लिये जिम्मेदार सरकार के प्रति उनका गुस्सा उनके व्हाट्स अप संदेशों से दिखता था। अप्रेल में जब उनसे आखिरी बार बात हुयी तो कहने लगीं अभी लौटकर आती हूं फिर केरल और बंगाल के बारे में बात करेंगे।

बहुत कुछ सिखाया था उन्होने अपने जीने के तरीके से, अपने काम के तरीके से, अपने स्वभाव से, बहुत कुछ सीखना बाकी था अभी उनसे।

कामरेड रंजना आपको इस तरह से तो नहीं जाना था।

# गहरे अंधेरे बादलों के बीच आशा की सुनहरी किरण

मरियम ढवले
राष्ट्रीय महासचिव, एडवा

पिछले महीने पिछले सात वर्षों से हमारे देश पर छाये काले बादलों के बीच चांदी की एक किरण दिखी है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के जरिए तीन युवा छात्र नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 15 जून को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्हें पिछले साल दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के लिए उकसाने के पूरी तरह से झूठे आरोप में कठोर यूएपीए के तहत एक साल से अधिक समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कर के रखा गया था ।

उनका असली अपराध यह था कि उन्होंने दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया था और हजारों महिलाओं द्वारा किये जा रहे अभूतपूर्व शाहीन बाग संघर्ष का समर्थन

किया था। उनके जैसे कई अन्य छात्र अभी भी जेल में हैं, जबकि वे भाजपा नेता जिन्होंने वास्तव में दिल्ली दंगों को भड़काया, जैसे अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा छुट्टा घूम रहे हैं।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और अनूप भाम्भानी द्वारा दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कई यादगार बिंदुओं में से एक हैं: '' ऐसा लगता है कि असहमति को दबाने की चिंता में और इस डर में कि मामले हाथ से निकल सकते हैं, राज्य ने' विरोध का अधिकार' और 'आतंकवादी गतिविधि' के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है।'' यदि इस तरह से अंतर कम होता जायेगा तो लोकतंत्र संकट में होगा.. । सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और संसदीय गतिविधियंा वैधानिक होती हैं, और प्रदर्शनकारियों के लिए प्रदर्शन की अनुमति की सीमा को आगे बढ़ाना असामान्य नहीं है ... तथापि, यह देखते हुए कि विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ख) ने हथियारों के बिना शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के संवैधानिक अधिकार के तहत प्राप्त है, निश्चित रूप से विरोध का अधिकार गैरकानूनी नहीं है और इसे यू ए पी ए के अर्थ के अनुसार 'आतंकवादी कृत्य' नहीं कहा जा सकता ।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर देशभर में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। पीपुल्स साइंस मूवमेंट के प्रमुख वामपंथी कार्यकर्ता डॉ महावीर नरवाल और जेल में बंद नताशा के पिता की मई में कोविद से मौत हो गई थी और नताशा को उस समय भी जमानत नहीं दी गई थी कि उनके पिता को आखिरी बार जिंदा भी देख सके । पिता की मौत के बाद प्राप्त तीन माह की पैरोल की अवधि के 31 मई को खत्म होने के बाद वह वापस तिहाड़ जेल चली गई थी।

दिल्ली पुलिस ने जो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नियंत्रण में है, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की । हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त हुये उन तीन छात्रों की जमानत रद्द करने से मना कर दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यूएपीए मामलों से निपटने के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को एक नजीर नहीं माना जाएगा ।

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पुरातन राजद्रोह अधिनियम के तहत मामलों में मोदी शासन के पिछले कुछ वर्षों से सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं । इनमें वे 16 महिलायें और पुरुष भी शामिल हैं, जिन्हें भीमा कोरेगांव मामले के अभियुक्त कहा जाता है। उनमें से कई-बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता जो गरीबों के लिए लगातार लड़ रहे हैं-तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं ।

इनके अलावा ऐसे कई पत्रकार, कार्टूनिस्ट और फिल्म मेकर्स हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वे मोदी-शाह-योगी शासन की आलोचना करते रहे हैं । एक युवती फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासक के खिलाफ ट्विट करने के लिए देशद्रोह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। सौभाग्य से, उसे केरल उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी।

इस साल 26 जून को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने की 46 वीं वर्षगांठ थी । आज देश को भाजपा सरकार के तहत अघोषित आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है । इस दिन को हमारे देश में ऐतिहासिक किसानों के संघर्ष के सात महीने पूरे होने के रूप में भी चिह्नित किया गया था । उस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने उस दिन ''कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ'' के लिए राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था। केन्द्रीय श्रमिक संघों ने सक्रिय रूप से उस आह्वान का समर्थन किया था । इसी प्रकार का समर्थन एडवा ने भी किया था ।

लोकतंत्र, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक न्याय के लिए संघर्ष-हमारे संविधान में निहित सभी मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, जैसा कि वर्तमान केंद्र सरकार से पहले कभी नहीं हुआ था । आइये हम अपनी पूरी शक्ति के साथ इन मूल्यों की रक्षा करें !। अंधेरे घने बादलों को दूर करने और सुनहरे उजाले की किरणों को फैलाने के लिये आइये अपने संघर्ष को मजबूत करें !

# राम के नाम पर ज़मीन घोटाला....

सुभाषिनी अली
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (ऐडवा)

उत्तर प्रदेश के योगीराज मे बहुत कुछ हो रहा है जो अजूबा है। ज़िला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव के लिए बहुत सारे विपक्ष के उम्मीदवारों का नामांकन रोका जा रहा है; गाँव मे करोना के मरीजों से नीम के पेड़ो के नीचे बैठने और सोने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अस्पताल हैं ही नहीं...लेकिन सबसे चौकाने वाली अजूबा घटनाएं तो अयोध्या मे घट रही हैं जहां ज़मीन की खरीद के अजब सौदे उस ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा किए जा रहे हैं जिनको श्रद्धालुओं ने करोड़ों रुपए का चंदा सौंपकर राम के मंदिर के निर्माण की ज़िम्मेदारी दी है।

13 जून को समाजवादी पार्टी के नेता, पवन पांडे, और आप पार्टी के नेता, संजय सिंह, ने अलग अलग प्रेस वार्ताएं करके दस्तावेज़ो के जरिये इस बात को प्रमाणित किया कि 18 मार्च को 2 करोड़ मे एक ज़मीन खरीदी गयी और फिर, 15 मिनट के बाद, उसे राम जन्मभूमि न्यास को 18.5 करोड़ मे बेच दी गयी! इस ज़मीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के व्यक्तियों ने हरीश और कुसुम पाठक से खरीदा और फिर उसे न्यास को बेच दिया। न्यास ने इस ज़मीन को 4,123/- प्रति वर्ग गज़ के दर पर खरीदा जबकि सरकारी सर्कल रेट केवल 763/- का है। दोनों ही सौदों के साक्षी ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या के भाजपाई महापौर और अनिल मिश्रा, न्यास के सदस्य थे। रवि मोहन तिवारी स्वयं महापौर के करीबी रिश्तेदार हैं।

इस सनसनीखेज खबर के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, न्यास के महासचिव, चंपत राय, धोखाधड़ी के आरोपों का तुरंत उत्तर देने टी वी चैनलो और अखबारो के पन्नो पर दिखाई दिये। उन्होने कहा कि पाठक दंपति के साथ अंसारी और तिवारी ने बेचने का करार 10 साल पहले किया था और इन सालों मे अयोध्या मे ज़मीन की कीमतों मे बड़ा उछाल आया था।

हरीश और कुसुम पाठक नामजद अपराधी हैं जिन्हें उ प्र की पुलिस 'भगौड़ा' मानती है। उनकी कंपनी "दी साकेत गोट फ़ार्मिंग कंपनी" ने कई साल पहले एक योजना शुरू की थी जिसके द्वारा उन्होने निवेश करने वालों को अच्छी रकम या बकरों मे लाभान्वित करने का वचन दिया था। हजारों लोगों की ठगी हुई और पाठक दंपति के खिलाफ फ़ैज़ाबाद (अब अयोध्या) समेत कई जिलों मे FIR दर्ज की गयी लेकिन वे कभी पकड़े नहीं गए। उनके बेटे, विकास, को जनवरी मे गिरफ्तार किया गया था और पाठक की गाड़ी को अयोध्या की पुलिस ने ज़ब्त करके अपने थाने मे रख लिया है।

यह दंपति लगातार आयोध्या मे ज़मीनों की खरीद कर रहा है और खुले आम कई ज़िलो मे घूम रहा है, लेकिन उ प्र की पुलिस उनको पकड़ने मे असमर्थ रही है! 18 मार्च को तो दोनों दिन भर कचहरी मे रहे। यहाँ उन्होने कुल 5 प्लाटों का सौदा किया। 3 प्लाट उन्होने अंसारी और तिवारी को 2 करोड़ मे बेचे जो 15 मिनट बाद न्यास को 18.5 करोड़ मे बेचे गए; 2 अन्य प्लाट उन्होने सीधे न्यास को ही बेचा। इनका सरकारी सर्कल रेट 4.97 करोड़ था लेकिन उनके बेचा गया 8 करोड़ में।

अब पता चला है कि पाठक दंपति द्वारा इन प्लाटों की खरीद ही संदिग्ध है। उन्होने यह प्लाट 1917 मे खरीदे थे। यह बात चंपत राय का दावा कि बेचने का करार इन्होंने 10 साल पहले किया था, उसे पूरी तरह से झुठलाता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जिन 5 प्लाटों को पाठक दंपति ने 4 भाइयों से 2 करोड़ मे खरीदा था उनके बारे मे कहा जा रहा है कि वह वक्फ की संपत्ती थी। उस वक्फ के मुतवल्ली ने उसी समय इस सौदे का कोर्ट मे विरोध किया था और उन्हे स्टे मिल गया था। वह बताते हैं कि मई के महीने तक उस प्लाट पर बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह ज़मीन विवादित है। उनकी माने तो उस बैनर को पाठक ने हाल ही मे उतार दिया।

इसके बाद, एक और संदिग्ध ज़मीन का सौदा सामने आया है। 20 फरवरी को, दीप नारायण जो अयोध्या महापौर के भतीजे हैं, उन्होने महंत देवेन्द्र प्रसादाचार्य से 890 वर्ग मीट का प्लाट 20 लाख रुपए मे खरीदा। यह प्लाट प्रस्तावित मंदिर परिसर से लगा हुआ है। 11 मई को दीप नारायण ने इसी प्लाट को 2.5 करोड़ मे न्यास को बेच दिया जबकि उसकी सरकारी सर्कल रेट की कीमत मात्र 35.6 लाख थी। इस सौदे के साक्षी भी अनिल मिश्रा ही हैं। इसकी छानबीन के दौरान, यह पता चला कि जिस 20 फरवरी को दीप नारायण ने प्रासादाचार्य से ज़मीन खरीदी थी, उसी दिन उसने न्यास को 1 करोड़ मे एक अन्य प्लाट बेचा

था। इस प्लाट की सरकारी सर्कल रेट की कीमत 27.08 लाख है। इस सौदे के साक्षी भी अनिल मिश्रा हैं!

अब यह पता चला है कि जिस ज़मीन को दीप नारायण ने प्रसाधाचार्य से खरीदा था वह नजूल की ज़मीन है। ऐसी ज़मीन को किसी के नाम पट्टे पर दी जा सकती है लेकिन उसे पट्टेदार बेच नहीं सकता है। जब अयोध्या के ज़िलाधीश से इसके बारे मे पूछा गया तो उन्होने जवाब दिया कि वे जांच तभी कर सकते हैं जब शिकायत होगी और अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है।

ऐसा तो बिलकुल हो ही नहीं सकता है कि जिम्मेदार लोग जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाए गए न्यास के सदस्य हैं, जिनका चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है और जिन्हे भगवान राम के मंदिर को बनाने की ज़िम्मेदारी दी गयी है, वे तमाम ज़मीनों को बहुत ही बढ़ाए गए दामों को बिना कागजात को देखे, बिना ज़मीन के मूल्य के बारे मे जांच-पड़ताल किए खरीदने का काम कर रहे थे। हर स्तर पर मिली-भगत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शर्मनाक बात तो यह है कि इस मिली-भगत के चलते आस्था के नाम पर इकठ्ठा किए गए धन का दुरुपयोग किया गया है और ज़बरदस्त मुनाफाखोरी की गयी है।

न्यास द्वारा तमाम संदिग्ध ज़मीनों की खरीद से संबन्धित दस्तावेज़ और जानकारियाँ पिछले दो हफ्तों से सार्वजनिक क्षेत्र मे मौजूद हैं लेकिन राज्यों और केंद्र सरकार ने इनका कोई संज्ञान नहीं लिया। यह दोनों सरकारें पूरी तरह से न्यास की स्थापना और उसकी कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं। किसी तरह की पूछताछ का न होना अपने आप मे सवाल खड़ा करता है। इसके ठीक विपरीत, जब उनके गृह जनपद, बिजनौर, मे चंपत राय और उनके भाइयो का एक ज़मीन कब्जे के मामले मे जानकारी एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा सार्वजनिक की गयी, तो राज्य सरकार फौरन हरकत मे आ गई।

वरिष्ठ पत्रकार, विनीत नारायण, जिन्होने जैन हवाला कांड जैसे मामले की तहक़ीक़ात की है, ने कुछ दिन पहले अपने फेस बुक पेज पर पोस्ट डाली जिसमे उन्होने बताया की चंपत राय की मदद से उनके भाइयों ने श्रीमती अल्का लाहोटी जो विदेश मे रहने वाली एक भाजपा समर्थक हैं की गौशाला की 20,000 वर्ग मीटर ज़मीन पर कब्जा कर डाला है। इसकी शिकायत श्रीमती लाहोटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी कर चुकी है।

इस पोस्ट के खिलाफ चंपत राय के भाई ने पुलिस मे शिकायत की और आनन-फानन मे विनीत नारायण, अल्का लाहोटी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ 18 धाराओं की □□□ दर्ज कर दी गयी। एक धारा तो 'धर्म के नाम पर दुश्मनी बढ़ाने' की भी है। भाजपा की सरकारें अब इसी तरह से काम करने लगी हैं। उनके समर्थक बेहिचक बड़े से बड़ा अपराध कर सकते हैं लेकिन उनके आलोचकों या उनके समर्थकों का पर्दाफाश करने वालों को पूरी सख्ती और बदले की भावना से सरकार की ओर से कुचलने का प्रयास किया जाता है।

अब अयोध्या से भ्रष्टाचार की जो बदबू आने लगी है उसने कई लोगों को मुंह खोलने और न्यास की गतिविधियों के बारे मे सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया है।

समाचार पत्रों की रिपोर्टो के अनुसार, न्यास के अध्यक्ष, महंत नृत्य गोपाल दास के अधिकृत प्रतिनिधि, महंत कमलनयन दास ने बयान दिया है कि नृत्य गोपाल जी को पिछले एक वर्ष से न्यास की गतिविधियों के बारे मे अंधकार मे रखा गया है, उन्हे लिखित और मौखिक रिपोर्ट नही दी गयी है। उन्होने यह भी कहा की जब भी नृत्यगोपाल जी ने चंपत राय को ज़मीन सौदों के संबंध मे फोन किया तो उनका फोन नही उठाया गया। न्यास के दो अन्य सदस्य, दिनेन्द्र दास (निर्मोही अखाडा) और कामेश्वर चौपाल के बारे मे रिपोर्ट है की उन्होने भी कहा है कि न्यास द्वारा किया गए ज़मीन सौदों के बारे मे उन्हे भी कोई जानकारी नहीं है।

अयोध्या के कई महंतों ने, जिनमे महंत धर्मदास, महंत सुरेश दास और महंत सीताराम दास शामिल हैं, ने अयोध्या मे प्रेस वार्ता कर मांग की है कि न्यास के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच CBI द्वारा की जाये।

अभी तक केंद्र और राज्य सरकारो द्वारा किए जा रहे 'मीडिया प्रयोजन' काफी सफल रहा है और न्यास द्वारा किए जा रहे ज़मीन के सौदों की खबरें चैनलों और पहले पन्नो से दूर रखे गए हैं। पिछले पखवाड़े मे, मीडिया का पूरा ध्यान धर्मांतरण और 'ज़बरदस्ती' किए जा रहे अंतरधार्मिक विवाहों पर ही केन्द्रित रहा है। उ प्र का विधान सभा चुनाव दूर नहीं है। उनको जीतने के लिए भाजपा के लिए ज़रूरी है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज़ हो और, साथ ही, अयोध्या के ज़मीन सौदो से लोगों का ध्यान दूर किया जाये। क्या वह अपने समर्थकों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी और मुनाफाखोरी पर उठ रहे सवालों और आवाज़ों को खामोश कर पाएगी? आगे के राजनैतिक घटनाक्रम के लिए इस प्रश्न का उत्तर महत्वपूर्ण साबित होगा।

# टीकाकरण को लेकर फैलते भ्रम के लिए कौन जिम्मेदार?

मधु गर्ग
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, एडवा

"अभी अच्छा वाला टीका आएगा तब लगवायेंगे।" लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के अस्ती गांव की महिला किरन ने बेहद आत्मविश्वास से मीटिंग में जवाब दिया। वे जनवादी महिला समिति द्वारा वैक्सीनेशन करवाना क्यों जरूरी विषय पर आयोजित एक मीटिंग में आई थीं। किरन के बाद शिवकली, सुमित्रा, रुकसाना, सायरा सभी का एक ही जवाब था। अच्छा वाला टीका क्या होता है? पूछने पर सब एक स्वर में कहती हैं कि इस (वर्तमान) टीके से मर जाते हैं तो यह नहीं लगवायेंगे। टीके को लेकर इतना भम्र और अविश्वास है कि इस अफवाह पर कि टीका नहीं लगवाओगे तो राशन नहीं मिलेगा पर उनकी सहज प्रतिक्रिया होती है कि राशन ना मिले पर टीका नहीं लगवायेंगे। यह एक गांव नहीं लगभग उत्तर प्रदेश के हर गांव में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों और शहरों में गरीब बस्तियों की शहरी गरीब जनता द्वारा प्रतिरोध हो रहा है। प्राथ्मिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ टीकाकरण हो सकता है, वे अधिकांश बदहाली का शिकार हैं। इनमें ताले लटक रहे हैं और यदि खुले भी हैं तो शहरी मध्यमवर्गीय जनता अपनी गाड़ियों के साथ लाइन में टीका लगवाने के लिए खड़ी हैं। जून के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में 5 हजार की आबादी वाले गाँव अस्ती में केवल 8 लोगों ने मिर्जापुर के गाँव धोरहां में केवल

3 लोगों ने व चन्दौली के एक गाँव  मे 2 हजार की आबादी पर 4 लोगों ने टीका लगवाया है। लखनऊ की गरीब बस्ती इस्माइलगंज की अनुमानित 4 हजार की आबादी पर केवल 10 लोगों ने टीका लगवाया है। यह हकीकत आज लगभग हर गाँव व शहरी गरीब बास्तियों की है।

अतः मध्यमवर्ग को भी यह कहने का मौका मिल रहा है कि देखो बेचारी सरकार क्या करे इन जहिलों के लिए... सवाल यह है कि अपनी तथाकथित 'जाहिली' के लिए क्या ये स्वयं जिम्मेदार हैं या सरकार और समाज जिम्मेदार हैं ?

हमारे संविधान के आर्टिकल 51 A(h) में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को हर नागरिक का कर्तव्य बताया गया है और वैज्ञानिक चेतना को प्रोमोट करने की बात कही गयी है किंतु देखना होगा कि अब तक की सरकारों ने उस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए? 2014 के बाद तो अंधविश्वासों का नंगा खेल सत्ता में बैठे हुक्मरानों और उनके पिछलग्गुओं द्वारा जिस प्रकार खेला गया वह उल्लेखनीय है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं ही वैज्ञानिक शोधों और तथ्यों को झूठलाते हुए प्लास्टिक सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी वैज्ञानिक आविष्कारों को नजरअंदाज कर उसे तथाकथित भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ते हुए गौरवान्वित किया गया। 'भूत-प्रेत' विद्या का कोर्स हो या 'गर्भाधान संस्कार' का प्रशिक्षण सब कुछ सरकार के प्रोत्साहन से बढ़ाया जा रहा है। कोरोना महामारी की पहली लहर में थाली पीटने और दिया जलाकर पटाखे फोड़ने तक के अश्लील दृश्यों ने हमें दुनिया के सामने मजाक का पात्र बनाया है। यह तथाकथित पढ़े-लिखे मध्यम व उच्च वर्गीय लोगों का परफॉर्मेंस था। कोरोना महामारी के खतरनाक वायरस का आरंभ से ही आज की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों ने मजाक उड़ाया और वे कोरोना पर अपनी विजय गाथा सुनाने में ही मदमस्त रहे। इस सरकार का बाबा रामदेव 'गोबर' और 'गऊमूत्र' से इलाज बताता रहा। 'गऊमूत्र' की पार्टियां होने लगी तो कहीं लोगों ने शरीर पर गोबर लपेट लिया। उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र में यह भी देखने में आया कि गोबर को सिल के नीचे दबा दिया गया और कहा गया कि अब कोरोना इसमें दबकर मर जाएगा। महिलाओं ने नीम के नीचे जल रखना शुरू कर दिया और वह जल 'कोरोना माई' के प्रसाद के रूप में बंटने लगा। घर-घर सिंदूर, बिंदी, दीवारों पर लगाई जाने लगी कि 'कोरोना माई' खुश होगी तो उसका प्रकोप नहीं आएगा।

कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर ने "विश्व गुरु की इस तथाकथित विजय गाथा की धज्जियां उड़ा दी । सरकार की बदइंतजामी और अस्पताल के बाहर तड़प-तड़प कर मरते मरीजों के भयावह दृश्यों ने सरकार से जनता का भरोसा तोड़ दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीब इलाकों में इलाज का कोई रास्ता नहीं दिखने पर यह अंधविश्वास और भी मजबूत होते गए। भगवा सेना का प्रमुख घटक बजरंगदल द्वारा कोरोना महामारी में सेवा कार्य के रूप में हर मोहल्ले और बस्तियों में कोरोना भगाने के लिए हवन का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी बाबा रामदेव ऐलोपेथ व डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है। वह यहाँ तक कह रहा है कि वैक्सीन से कुछ नही होगा जिन्होंने लगवाई वे भी मर गये। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के कहने से अब

भक्तगण कोरोना भगाने के लिए "रामचरितमानस" का पाठ कर रहे हैं। जैसे चेचक को छोटी माता और "बड़ी माता" का नाम देकर उस महामारी को देवी का प्रकोप बताया गया था ठीक उसी प्रकार अब कोरोना महामारी से लड़ने के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के स्थान पर उसे कोरोना माई के प्रकोप में बदला जा रहा है। "कोरोना माई" का प्रकोप तो दैवीय आपदा है, इसमें सरकार क्या कर सकती है और बस यही अज्ञानता और अंधविश्वास सरकार की नाकामी को भी ढक सकता है। सत्ता का यह खेल पुराना है।

दरअसल जागरूकता कोई इजेक्शन नहीं है जो एक बार लगा दिया और लोग जागरूक हो गए। यह एक सतत् प्रक्रिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि वैज्ञानिक चेतना फैलाने के लिए सरकारों द्वारा या समाज में क्या मुहिम चलाई गई? जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आावाज उठाई उनकी नृशंस हत्या कर दी गई । गोविंद पांसारे, कलबुर्गी व दाभोलकर साहब का हश्र हम देख चुके हैं। जनता देख रही है कि नेता लोग चुनाव में पर्चा भरने के लिए भी पंडित से मुहूर्त पूछते हैं, घर बनवाते समय दिशा, दोष का ध्यान रखते हैं। कंप्यूटर चलाती दसों उंगलियों में 10 पत्थरों की अंगूठियां होती हैं बाबाओं, ढांेगियों, तांत्रिकों को अब तो सत्ता का भी संरक्षण मिल रहा है तो अशिक्षित छोड़ दी गई जनता को एक दिन में जागरूक होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर केरल की पढ़ी लिखी वैज्ञानिक चेतना से लैस जनता है जहां वैक्सीन की कमी से रफ्तार पर बेशक असर पड़े किंतु किसी तरह का प्रतिरोध नहीं है। 8 अप्रैल' 21 तक 10 प्रतिशत केरल की जनता वैक्सीनेटेड हो गई थी

किंतु अभी तो महामारी मुंह बाए खड़ी है। देखने में आ रहा है कि ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ और टीका लगवाओ किंतु जिस अंधकार में जनता को धकेला गया है वहां से वह स्वयं टीका लगाने जाएगी इसमें संदेह है। घर-घर जाना होगा और टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा, वैक्सीन के फायदे वैज्ञानिक तरीके से समझाने का काम करना होगा।

फिर तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए लंबा रास्ता तय करना ही है।

# रिपोर्ट - हरियाणा नूंह साम्प्रदायिक नफ़रत फैलाने के खिलाफ हुआ नागरिक सम्मेलन

सविता
राज्य महासचिव
एडवा, हरियाणा

"भाजपा के साम्प्रदायिक जहर फैलाने के मंसूबों को सफल नही होने देंगे" - सुभाषनी अली सहगल। हरियाणा के नूंह जिला के रहने वाले 27 वर्षीय जिम ट्रेनर आसिफ खान की 16 मई को गुंडा तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से  आरोपियों को बचाने के नाम पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं। इन सबके बीच में नूंह के गांधी पार्क में 20 जून को जात-धर्म पर नहीं लड़ेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे, हमारा भाई-चारा जिन्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जैसे नारों के माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द और न्याय के पक्ष में नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मेहनतकश महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर नागरिकों की एकता बनाए रखने और आरएसएस भाजपा की साजिशों विफल करने का संकल्प लिया।

***घटनाक्रम क्या है***

खेड़ा खलीलपुर गांव का रहने वाला नौजवान आसिफ अपने चचेरे भाई राशिद व एक अन्य नौजवान वासिफ के साथ 16 मई को दवाई लेने के लिए सोहना गया था। वापसी में लौटते हुए गाड़ियों व मोटरसाइकिलों पर सवार 30-35 लोगों ने उन्हें घेरकर लाठियों व हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना में राशिद भी गंभीर रूप से घायल हो गया और आसिफ की मौत हो गई। इस जघन्य हत्याकांड में लगभग 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज है जिनमें से 14 लोग नामजद हैं।

***कानून व्यवस्था के मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश***

शुरूआत में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करता हुआ दिख रहा था। 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़ित परिवार को भरोसा था कि पुलिस प्रशासन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। परंतु इस हत्याकांड के बाद से ही सांप्रदायिक ताकतें इस घटना को जातीय और धार्मिक रंग देने में जुट गई। सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ वीडियो डाले जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की सरपरस्ती में नूंह और आसपास के जिलों में छोटी-बड़ी जातीय पंचायतें की गईं। इन तैयारियों के बाद 30 मई को नूंह जिला के इण्डरी गांव में तथाकथित बड़ी हिंदू महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में दिल्ली, यूपी और आसपास के जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुडगांव से भी लोगों को बुलाया गया। इस महापंचायत के लिए आह्वान किया गया कि "पहले धर्म बचाओ, जातियां अपने आप बच जाएंगी।" निर्दोषों को बचाने के बहाने से बुलाई गई इस महापंचायत के माध्यम से सभी हिन्दू जातियों को मुस्लिमों के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की गई। यह महापंचायत करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मु के नेतृत्व में हुई। कोविड संक्रमण के कारण एक महीने से लगी धारा 144 का खुला उल्लंघन करते हुए हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया। यह भीड़ इकट्ठा करने का उद्देश्य आसिफ की हत्या के मामले में न्याय प्रक्रिया को पलटना, हत्या आरोपियों को बचाना तथा घटना का सांप्रदायिककरण करना था। इस महापंचायत में बहुत ही भडक़ाने वाले और हत्या की घटना को सांप्रदायिक रूप देने व आसिफ की हत्या को जायज ठहराते हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भडक़ाने के भाषण हुए। फरीदाबाद के जुनैद की हत्या का मुख्य अपराधी नरेश कुमार, जो अभी जमानत पर है, उसने भी इस पंचायत में बहुत ही भडक़ाऊ भाषण दिया।महापंचायत में आसिफ की हत्या को यह कहकर जायज ठहराने की कोशिश की गई कि आसिफ की प्रवृत्ति आपराधिक थी। उसके नाम कई पुलिस थानों में मुकदमें दर्ज हैं। वह लव जेहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। ऐसे अपराधी व चरित्रहीन व्यक्ति की हत्या करना जायज़ है और इसलिए मामले में आरोपी बनाए गए सभी लोग निर्दोष हैं।

अगले ही दिन बड़ी संख्या में नूंह के एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर आरोपियों को छोड़ने का दबाव बनाया गया। कुछ ही दिन बाद चश्मदीद गवाह के पहचानने के बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को छोड़ दिया। यह सीधा-सीधा महापंचायत के दबाव में ही किया गया है। महापंचायत में दिए गए जहरीले भाषणों के वीडियो वायरल होने से खेड़ा खलीलपुर गांव व आस-पास के गांवों में, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में भय और असुरक्षा का माहौल बना है। आरएसएस और भाजपा अपने जाने पहचाने एजेंडे  फूट डालो और राज करो, में कुछ हद तक कामयाब हुई जिसके इनामस्वरूप करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को शासक पार्टी भाजपा ने अपना मीडिया प्रवक्ता बना दिया।

***पुलिस कर्मियों द्वारा जुनैद की हत्या***

इसी दौरान पुन्हाना उपमंडल के गांव जमालगढ़ के रहने वाले 21 वर्षीय जुनैद व पांच अन्य युवकों को फरीदाबाद पुलिस ने किसी मुकदमे में शक के आधार पर उठा लिया। पुलिस युवकों के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की और उन्हें छोड़ने की एवज में मोटी रकम की मांग की। रुपए नहीं देने की सूरत में नाजायज मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। जुनैद को 70 हजार रुपए लेकर छोड़ा गया लेकिन उसे इतना ज्यादा पीटा गया था कि 12 जून को उसने दम तोड़ दिया। जुनैद के अलावा उसके दो भाइयों को भी पुलिस ने उठाया लिया था। उनको छोड़ने की एवज में भी पुलिस लगातार पैसे की मांग करती रही। इस घटना के परिणाम स्वरूप लोगों में भारी रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस की जीप को आग लगा दी।  पुलिस प्रशासन ने गांव के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व वकीलों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कर दिए। कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई। जिससे जमालगढ़ गांव में दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया। जनवादी महिला समिति, सीटू और किसान सभा के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने जब गांव में जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की तो महिलाओं ने बताया कि पुलिस की दहशत इतनी ज्यादा है कि 10 साल से ऊपर के सभी बच्चे और पुरुष भूमिगत हैं जबकि जुनैद को मारने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

***नूंह को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं भाजपा आरएसएस***

अपने सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने के लिए भाजपा और आरएसएस मुस्लिम बहुल इलाके नूंह को प्रयोगशाला के तौर पर चिन्हित कर चुके हैं। देश के सबसे पिछड़े 101 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला पहले नम्बर पर है। मानव विकास को इंगित करने वाले सूचकांक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में नूंह अन्य जिलों से बहुत पीछे है।  ढांचागत सुविधाओं की कमी, निरक्षरता और बेरोजगारी की वजह से युवा अपराधों

की तरफ धकेले जा रहे हैं। राजनेता निहित स्वार्थों की वजह से जिला के विकास में रुचि लेने की वजह यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति को इससे खाद पानी मिलता रहे।

ऐसी परिस्थितियों में सत्ता में बैठी  भाजपा और आरएसएस के संगठन लगातार योजनाबद्ध ढंग से मेवात की सांझी संस्कृति, सांझी विरासत और साम्प्रदायिक सद्भाव पर हमले कर रहे हैं। जो लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहे, साथ मिलकर देश के लिए शहादतें दीं उनके बीच में नफ़रत का जहर फैलाकर एक दूसरे के मुक़ाबले खड़ा किया जा रहा है। पहलू खान हत्याकांड, रकबर खान हत्याकांड, डिंगरहेड़ी सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामलों में इन सांप्रदायिक शक्तियों ने शातिरआना ढंग से काम किया है। पिछले कई सालों से अपराधों को अपराध की नजर से ना देख कर मजहबी चश्मे से दिखाने की कोशिशें हो रही हैं।

***हमारा हस्तक्षेप***

जैसे ही सोशल मीडिया के मीडिया के माध्यम से इस मामले के सांप्रदायिकरण की कोशिशों की जानकारी मिली भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), शहीदाने सभा मेवात, नागरिक मंच मेवात, सीटू, किसान सभा और जनवादी महिला समिति के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 25 मई को खेड़ा खलीलपुर गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके दुख में सांझेदारी की। संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिसमें  सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और इलाके के अमन चैन व भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिशें कर रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी  कार्यवाही करने व सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी सूरत में ना बिगड़ने देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

इसके बावजूद भी नूंह प्रशासन ने इस तथाकथित हिन्दू महापंचायत को रोकने की कोशिश नहीं की। 9 जून को सीपीआईएम की पोलितब्यूरो सदस्य कॉमरेड वृंदा करात, सीपीआई की राष्ट्रीय नेता कामरेड अमरजीत कौर, सीपीआईएम के राज्य सचिव सुरेंद्र सिंह व सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप के नेतृत्व में  प्रतिनिधिमंडल ने खेड़ा खलीलपुर गांव का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने नूंह के उपायुक्त से मुलाकात कर मांग की कि  नफरत भरे भाषणों से घटना का साम्प्रदायिकरण करने, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने और लोगों को आपस में बांटने की दुर्भावना व सांप्रदायिक मंशा से योजनाबद्ध ढंग से बुलाई गई इस महापंचायत के आयोजकों व वक्ताओं पर मुकदमे दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएं।

इसके अलावा हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में नरेश कुमार की जमानत रद्द करवाने के लिए अपील दायर की जाए।

इस तथाकथित हिंदू महापंचायत के आयोजकों और वक्ताओं पर एफ.आई.आर. दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने के लिए कॉमरेड वृंदा करात और कॉमरेड सुरेंद्र सिंह की तरफ से रोजका मेव थाना प्रभारी को आवेदन भी दिया गया।

भाजपा आरएसएस की फूट परस्त राजनीति को जवाब देने के लिए नूंह में सभी सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें चर्चा की गई कि एक ध्रुवीकरण का जवाब दूसरा ध्रुवीकरण नहीं हो सकता इसलिए सभी नागरिकों को साथ में जोड़ते हुए नागरिक मंच, मेवात और शहीदाने सभा, मेवात के संयुक्त बैनर से 20 जून को नागरिक सम्मेलन का आयोजन करने का तय किया गया।

नागरिक सम्मेलन की तैयारियों में नूंह के आस-पास के गांव में अभियान चलाया गया, पर्चे वितरित किए गए, नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। जिसके परिणामस्वरूप 20 जून को नूंह के गांधी पार्क में सांप्रदायिक सौहार्द, अमन, भाईचारा और न्याय के पक्ष में हुए नागरिक सम्मेलन में सैंकड़ों लोगों ने आवाज बुलंद की।

सम्मेलन की अध्यक्षता शहीदाने सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल आर्यवीर सिंह, कालेखां व सफरुदीन, राजसिंह, तौफीक खान व जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष उषा सरोहा ने सयुंक्त अध्यक्षता की तथा मंच संचालन अशरद खान एडवोकेट व सीटू नेता अनिल कुमार ने किया।

बतौर मुख्यवक्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कानपुर से पूर्व सांसद तथा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिनी अली सहगल ने कहा कि सरकार के हमलों से अपनी रोजी -रोटी को बचाने के लिए किसान मजदूरों को एकता करके लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहीं कुछ फिरकापरस्त ताकतें समाज को बांटने के मनसूबों से फूट डालने के खतरनाक खेल में मशगूल हैं। वे निर्दोष युवक की हत्या के दोषियों तक को बचाने से गुरेज नहीं कर रहे। इनकी नापाक सियासत किसी से छिपी हुई नहीं है। ये लोग मजहब के नाम पर जिस तरह की महापंचायतों का खेल कर रहे हैं, वह सरेआम कानून और समाज की रिवायतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनको उकसाने वाली सियासत और प्रशासन खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमें बहुत सचेतन ढंग से आपसी भाईचारे, एकता, सद्भाव व सौहार्द को खत्म करने वाली इस फूटपरस्त की राजनीति की साजिश को समझना होगा और ध्यान रखना होगा कि हम इसका शिकार ना हों। आज सभी लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय ताकतों को एकजुट होकर शांतिपूर्वक ढंग से सांप्रदायिक सौहार्द व न्याय के पक्ष में प्रतिरोध की आवाज बुलंद करनी होगी ताकि पीड़ित को न्याय मिल पाए और समाज में ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाए।

सम्मेलन में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करते हुए आसिफ खान के सभी हत्यारों की तुरन्त गिरफ्तार करने, पुलिस हिरासत में मारे गये जुनैद के हत्यारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ

कार्यवाही करने तथा धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की ताकि इलाके में अमन चैन कायम रखा जा सके।

सम्मेलन में प्रस्ताव पास करते हुए रोजी-रोटी को बचाने तथा 3 कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर 28 जून को जुनहेड़ा बॉर्डर पर होने वाले किसान-मजदूर सम्मेलन को सफल बनाने का भी निर्णय लिया गया।

सम्मेलन को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केअध्यक्ष सुभाष लांबा, सयुक्त किसान मोर्चा के नेता इंद्रजीत सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के नेता आत्मजीत सिंह, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता, सीटू राज्य अध्यक्ष सुरेखा, पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष सतबीर सिंह कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, बार एशोसिएशन नूहँ के पूर्व अध्यक्ष ताहिर एडवोकेट,ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवी राम, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की राज्य अध्यक्ष सरोज, आशा वर्कर यूनियन की राज्य अध्यक्ष प्रवेश, ऑल इंडिया मेवाती समाज के नेता रमजान चौधरी, यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद, किसान सभा के नेता अख्तर हुसैन समेत अनेक नेताओं ने नागरिक सम्मेलन को सम्बोधित किया तथा आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

# छात्र कार्यकर्ता नताशा, देवांगना और आसिफ की जमानत पर रिहाई का पुरजोर स्वागत

डॉ. मनजीत राठी
केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एडवा

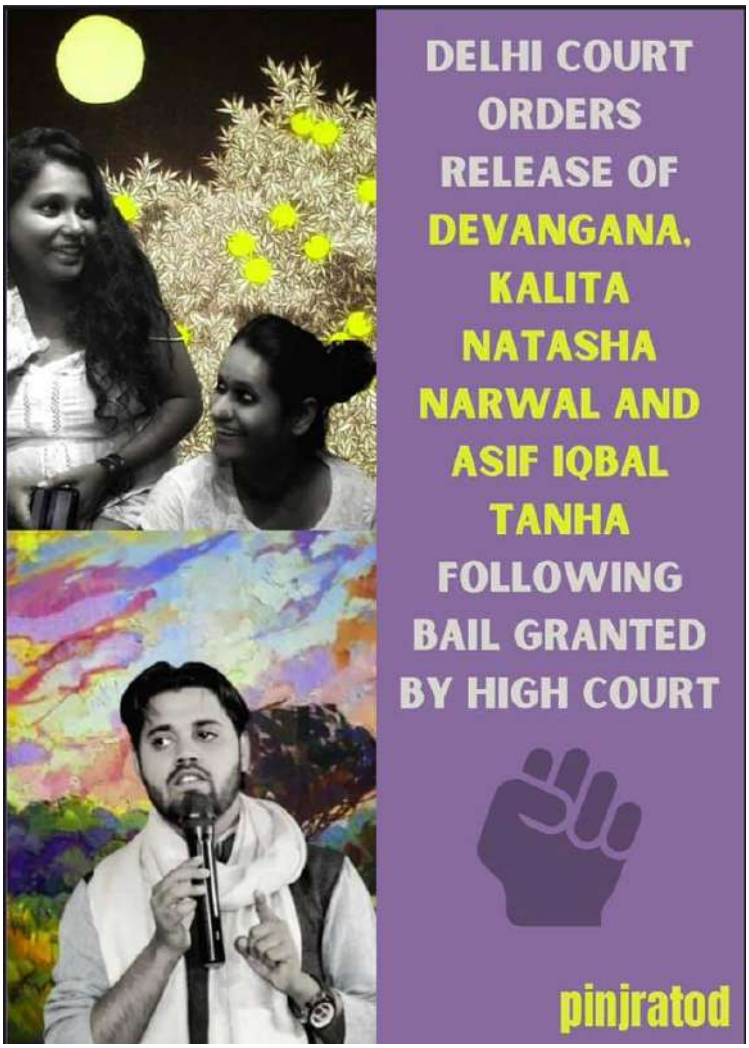


अभी हाल ही में 17 जून की शाम को पिंजरा तोड़ ऐक्टिविस्ट्स देवांगना कलिता, नताशा नरवाल तथा जामिया मिलिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। पिछले साल फरवरी के महीने में दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा और दंगे भड़के थे. इसके बाद, तीनों को दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बता कर मई महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बड़े ही हास्यास्पद ढंग से तीनों के खिलाफ दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) भी लगा दिया गया था.

यह बहुत हर्ष और राहत की बात है कि दो दिन पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन तीनों को सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए 15 जून को जमानत दे दी थी। लेकिन तीनों छात्र कार्यकर्ताओं के पते और मुचलके के सत्यापन में देरी के कारण जेल से उनकी रिहाई में दो दिन से अधिक की देरी भी हुई। सच तो ये है कि दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी तरह से अयोग्य ठहराने और पलटवाने के लिए 50 घंटे से ऊपर घिनोना खेल खेला गया। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा सत्यापन प्रक्रिया में देरी आरोपियों को जेल में रखने की स्वीकार्य वजह नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय से जमानत लेने के बाद कार्यकर्ताओं ने जेल से तुरंत रिहाई के लिए निचली अदालत का रुख किया था , जिसके तहत कुछ शुरुआती अड़चनों के बाद अंततः रिहाई संभव हो पाई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने निचली अदालत के इन्हे जमानत नहीं देने के आदेश को खारिज करते हुए तीनों को नियमित जमानत दी है।

गौरतलब है कि नताशा नरवाल की जमानत की गवाही एडवा की संरक्षक और वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून को तीनों को जमानत देने वाले अपने फैसले में कहा था कि प्रथम दृष्टया जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और जेएनयू के दो स्कॉलर देवांगना कलिता और नताशा नरवाल पर यूएपीए की धारा-15, 17 और 18 के तहत अपराध नहीं बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है और इसे यूएपीए कानून के तहत आतंकी गतिविधि नहीं कहा जा सकता है।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति व हरियाणा इकाई ने, तमाम न्यायप्रिय संगठनों, संस्थानों, प्रगतिशील तबकों और इंसाफ मे यकीं रखने वाले तमाम लोगों ने जमानत पे रिहाई का पूरे दिल से स्वागत किया है। जेल से बाहर आने के बाद नताशा और देवांगना ने कहा कि उन्हें खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा है। नताशा ने आगे कहा, ''मैं अपने ऊपर लगे आरोपों को जानकर स्तब्ध रह गई हूं. जब मैं जेल में थी, तब मैंने अपने पिता को खो दिया था. यह कठिन समय था, लेकिन मुझे जो समर्थन मिल रहा है उससे मैं खुश हूं और यही मेरा संबल है''। वहीं, जेल से बाहर आने के बाद देवांगना कालिता ने बताया कि पुलिस ने मुझसे गहन पूछताछ की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम प्रदर्शनकारी हैं और हमारा दंगों से कोई लेना-देना नहीं है. कोर्ट के आदेश से खुश हूं....उन्होंने कहा कि ''जमानत मिलने के बाद भी जेल से छूटने में तीन दिन लग गए, यह समझ के बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ''. वहीं, आसिफ तन्हा ने भी कहा कि ''अभी उनकी लड़ाई जारी रहेगी. चाहे बार-बार जेल क्यों न आना पड़े.'' आसिफ तन्हा ने यह भी बताया कि जब वे पहली बार जेल गए तो उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने कोर्ट में की थी।

तीनों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जमानत के आदेश को चुनौती दी है और इस मामले में पुनर्विचार की मांग की है। अपनी

अपील में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट ने न केवल एक 'मिनी-ट्रायल' किया है बल्कि हाईकोर्ट ने जो निष्कर्ष दर्ज किए हैं, वे रिकॉर्ड और मामले की सुनवाई के दौरान की गई दलीलों के विपरीत हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी अपील में कहा है कि हाईकोर्ट ने पूर्व-कल्पित तरीके से इस मामले का निपटारा किया और यह पूरी तरह से गलत फैसला है। हाईकोर्ट ने मामले का इस तरह से निपटारा किया जैसे कि छात्रों द्वारा विरोध का एक सरल मामला हो। बाद मे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा और किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी पक्ष द्वारा उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में तीन आरोपियों की रिहाई में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरे भारत में असर पड़ सकता है, इसलिए हमने परीक्षण करने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का ये फैसला यूएपीए के तहत जमानत मिलने का अपनी तरह का पहला मामला है और शीर्ष अदालत की यूएपीए के परीक्षण की टिप्पणी के बावजूद कई तरह से महत्वपूर्ण है।

1. 'विरोध का अधिकार' मौलिक अधिकार है' सबसे जरूरी बात जो उच्च न्यायालय के फैसले से पुनः स्थापित और सुदृढ़ हुई है वह ये कि असहमति और विरोध किसी भी लोकतान्त्रिक देश की बुनियाद है। उच्च न्यायालय के शब्दों में - "इस पर कोई विवाद नहीं कि महिला संगठनों के सदस्य के तौर पर इन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में भाग लिया और उनके आयोजन में मदद की। हालांकि हमारा मानना है कि 'विरोध का अधिकार' मौलिक अधिकार है।"

इस प्रकार उच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात की पुष्टि की कि असहमति और विरोध के अधिकार की रक्षा ही लोकतंत्र की नीव है।

2. असहमति और आतंकवाद के बीच का अंतर - जैसा कि एडवा नेता बृंदा करात ने कहा है कि इस जमानत के जरिए पूरे देश मे यह विश्वास बना है कि "असहमति और आतंकवाद के विरुद्ध अधिनियम (टेरर एक्ट) को आप एक नजर से नहीं देख सकते"। ये दो बिल्कुल अलग चीजे हैं। उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि हथियारों के बिना प्रदर्शन करना मूल अधिकार है, कोई 'आतंकवादी गतिविधि ' नहीं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने कहा कि सरकार और संसदीय गतिविधियों के खिलाफ विरोध वैध है। ऐसे विरोधों के हालांकि शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक होने की उम्मीद की जाती है, पर इनका कानून के तय दायरे से बाहर जाना असाधारण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक बार को हम मान भी लें कि छात्राओं ने संविधान के तहत मिले अधिकारों की सीमा लांघी, तब भी वह आतंक विरोधी गतिविधि या साजिश या आतंकी गतिविधि की साजिश रचे जाने के बराबर नहीं

है। उच्च न्यायालय ने कहा - हम यह कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर से कि मामला हाथ से निकल सकता है, सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले 'विरोध का अधिकार' और 'आतंकवादी गतिविधि' के बीच अंतर की रेखा को धुंधला कर दिया। ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

3. यूएपीए की परिभाषा और दायरे पर भी उच्च न्यायालय ने मजबूत टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि सामान्य अपराध भले ही वह कितने ही गंभीर क्यों न हों, यू ए पी ए की श्रेणी मे नहीं शामिल किये जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि यू ए पी ए के तहत अपराधों को बेहद गंभीर माना जाता है, बेहद कड़ी सजा होती है। ऐसे में अदालत की ओर से हर कदम पर एक स्वतंत्र न्यायिक रवैया रखना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यू ए पी ए को अमल में लाने के पीछे न तो यह मंशा थी और न ही मकसद कि उसमें अन्य सामान्य अपराधों भले ही वह कितने ही गंभीर क्यों न हों, यू ए पी ए के तहत आएं।

4. चार्जशीट पर सवालरू मामले की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट और उसमें पेश की गई सामग्री को देखने से, पहली नजर में आवेदकों के खिलाफ आरोप उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन्हें न्यायिक हिरासत में और समय तक रखने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है।

5. दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचनारू उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की भी आलोचना की है और कहा है कि निचली अदालत को इस सारे मुद्दे को जो दिल्ली पुलिस कह रही है उसके आधार पर नहीं , बल्कि पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर देख कर ही जमानत को खारिज करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि ''आतंकी गतिविधि'' को लेकर चार्जशीट में कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि चार्जशीट में करीब 740 गवाहों के नाम हैं और ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। क्या अदालतें याचिकाकर्ता को जेल में लंबे समय तक सड़नें दें क्योंकि निकट भविष्य में तो 740 गवाहों की पेशी संभव नहीं दिखती।

इस प्रकार ये फैसला दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना करता है और हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण के दायरे मे आती है। क्योंकि फरवरी 2020 मे दिल्ली मे हुई हिंसा और प्रायोजित दंगों के संबंध में एक विशेष दिल्ली पुलिस सैल बनाया गया था और ये यूएपीए के संदर्भ मे भी विशेष सैल है जो सीधे गृह मंत्री की अगुवाई मे काम करता है। इस तरह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस की सख्त आलोचना सीधे सीधे गृह मंत्रालय पर भी आती है ।

उच्च न्यायालय के फैसले के दूरगामी महत्व के साथ साथ तीनों छात्रों की संघर्षपूर्ण भावना और अटूट प्रतिबद्दता को भी सलाम करना होगा। जनतंत्र को बचाने और मजबूत करने के इनके जज्बे को जेल की सलाखें भी धुंधला नहीं कर पाई। तीनों ने लड़ाई निरंतर जारी रखने की बात को दोहराया है और अपनी रिहाई के बाद मांग की है कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार

सभी राजनैतिक कैदियों को भी तुरंत रिहा किया जाए। जब नताशा स उनके पिता की मृत्यु से अपूर्णीय क्षति के बारे मे पूछा गया, उसने कहा कि तमाम पीड़ा और पिता की गहरी कमी के बावजूद समाज को बदलने के संघर्ष के जरिए मेरे पिता सदा मुझ मे जिंदा रहेंगे और अपने पिता की प्रेरणा और प्रोत्साहन के कारण मेरी सामाजिक सक्रियता ही अब मेरा जीवन है। तीनों ने ये भी माना कि ये संघर्ष की सामूहिकता और एकजुटता ही है जिसने जेल मे गरिमा के साथ जीने की ताकत प्रदान की। अब इनके संघर्ष मे जेल मे लंबे समय से पड़े वंचित तबकों के लिए सुधार का काम भी शामिल हो गया है। जेल से बाहर आते ही इस नारे की बुलंदी ने इनके संघर्ष की निरन्तरता और दिशा को अंजाम दियारू

सारे पिंजरे तोंडेंगें
इतिहास की धारा मोड़ेंगें

"पिंजरा तोड़" की इन बहादुर छात्राओं के मौजूदा सरकार को चुनौती देते हुए संघर्ष की सराहना में एक कविता -

वे और तुम
एक वे हैं जो सब हार के
लड़ रही हैं अनथक
हर कीमत पे बचाने को
लोकतंत्र का फलक

एक तुम हो जो सब डकार के
डर गए अंजाम से
आगे बढ़ती बेटियों की
विद्रोह की जबान से

तुम प्रतिरोध से डरते हो
वे अन्याय से भिड़ती हैं
तुम झूठे जाल बिछाते हो
वे सच की राह पे चलती हैं

तुम जेलें भरते जाते हो
वे मुक्त गगन बनाती हैं
तुम पहरे नए लगाते हो
वे तोड़ के पिंजरे आती हैं

वे निहत्थी हैं फिर भी
हर किले से टकराती हैं
तुम सल्तनत के मालिक हो
हर आहट से डर जाते हो

वे हैं तो रंग हैं सुगंध है
जीवन है सृजन है
तुम हो तो चारों तरफ
बस खौफ है दमन है

वे रहेंगी कयामत तक
दरिया में पानी की तरह
तुम्हारी हुकूमत आज है
कल रेत सी डह जाएगी

आने वाला समय
कहेगा कहानी उनकी
तुम्हारे जुल्म की लानत भरी
हर दास्तां मिट जाएगी !!

# वैक्सीन की उपलब्धता और उसे लेकर फैलाये जा रहे झूठ....

मधु गर्ग
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, एडवा

वैक्सीन की उपलब्धता व टीकाकरण को लेकर सरकार ने झूठ का एक बड़ा मायाजाल फैला रखा है। हमारे देश के हुक्मरान अपने को विश्व गुरु सिद्ध करने की इतनी हड़बड़ी में हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि जून' 2021 में भारत टीकाकरण अभियान में अमेरिका से भी आगे निकल गया है, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक भारत में केवल (27 जून' 21 तक) 4 प्रतिशत जनसंख्या को टीके की दोनों डोज लगी है और अमेरिका में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। यह स्थिति तब है जब भारत के यूनियन बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ का आंवटन किया गया है। निश्चित रूप से भारत में 21 जून' के बाद टीकाकरण अभियान में तेजी आई है यद्यपि आंकड़ों के फर्जीबाड़े की भी खबरें आ रही है। अब फिर 29 जून से वैक्सीन की कमी के कारण पुनः टीका केन्द्रों के बन्द होने की खबरें भी आने लगीं हैं।

इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता है कि सरकार की अपराधिक लापरवाही के कारण कोरोना की दूसरी लहर में हुई लाखों मौतों को रोका जा सकता था यदि समय पर वैक्सीन के आर्डर और उसकी उपलब्धता पर ठोस कदम उठाए गए होते। यदि हम सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर की गई लापरवाही की पड़ताल करें तो पाते हैं कि भारत सरकार कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इतनी लापरवाह थी कि उसने टीका बनाने वाली संस्था सेरम (□□□□□) इंस्टिट्यूट को जनवरी' 2021 में पहला आर्डर केवल 1.1 करोड़ डोज का दिया जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के देश अपनी टीका निर्माता कंपनियों को टीका बनाने का आर्डर मई-जून' 2020 में ही दे चुके थे। टीका बनाने वाली दूसरी कंपनी भारत बायोटेक को बाद में टीका बनाने का ऑर्डर दिया किंतु उसकी मात्रा की आज भी जानकारी नहीं है। भारत सरकार की टीकाकरण को लेकर लापरवाही इसी से समझी जा सकती है कि टीका बनाने वाली दोनों कंपनियों को एडवांस पेमेंट 19 अप्रैल' 2021 को दिया गया। अप्रैल का महीना कोविड त्रासदी का भयानक महीना था और उस समय भारत की दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कितनी वैक्सीन कितने महीनों में उपलब्ध होगी इसे लेकर कोई जानकारी ही नही थी। सरकार और टीका बनाने वाली कंपनियों की इसी गुत्थमगुत्थी से बचने के लिए सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ इसी दौर में भारत छोड़कर इंग्लैड चले गये थे।

अप्रैल-मई में जब कोरोना से मौतों का भयानक मंजर सामने आने लगा और सरकार की असफलता सर चढ़कर बोलने लगी तो सरकार के मंत्रियों ने वैक्सीन को लेकर झूठे आंकड़े देने शुरू किए जैसे कि कोरोना से हुई मौतों को छिपाने के लिए किया जा रहा था। जैसे मई महीने में प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिसंबर' 2021 के अंत तक

सरकार के पास 216 करोड़ डोज का स्टाक होगा और इसप्रकार 108 करोड़ लोंगों केा दोनों टीके मिल जायेंगे। जबकि 2021 मई में केवल 34.6 करोड डोज का आर्डर दिया गया था जब प्रकाश जावड़ेकर 216 करोड डोज दिसंबर तक उपलब्ध होने का दावा कर रहे थे।

1 मार्च' से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए व 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर की आयु के लिए टीकाकरण का ऐलान किया गया। कोरोना का कहर जब युवा पीढ़ी पर टूटा और सरकार की आलोचना होने लगी तो आनन-फानन में 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी टीकाकरण का ऐलान हो गया जबकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं था। नतीजा यह हुआ कि तमाम सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद होने लगे। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी, वैक्सीन के दामों में भी केंद्र सरकार ने मनमानी की। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम 780रू0 से लेकर 1145रू0 और 1410रू0 क्रमशः कोविशील्ड, स्पुटनिक वी और कोवैक्सीन के लिए तय हुए। नतीजा यह हुआ कि सरकारी टीकाकरण बंद थे जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कमी नहीं थी इन सब के बीच 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन स्लॉट लेने के लिए किये जा रहे रजिस्ट्रेशन ने एक नई मुसीबत पैदा कर दी। 1 मई के बाद अशिक्षित व वंचित तबके ने तो इस रजिस्ट्रेशन से दूरी ही बना ली किंतु पढ़े लिखे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की टीकाकरण को लेकर की जा रही मनमानी पर कड़ी फटकार लगाई। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से निवेदन किया। तब जन दबाव व सुप्रीमकोर्ट की फटकार के बाद 21 जून' 21 से मुफ्त प्रधानमंत्री मोदी ने "सबको मुफ्त वैक्सीन" देने के ऐलान इसप्रकार किया जैसे कि पहले के समय में टीकाकरण पैसा लेकर होता था। इसमें भी 75 प्रतिशत सरकारी जो मुफ्त होगा और 25 प्रतिशत अभी भी प्राइवेट अस्पताल के पास है जो पैसा लेकर टीकाकरण करेंगे।

21 जून से टीकाकरण को लेकर सरकार द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। कोविड प्रबंधन की बदइंतजामी को छिपाने के लिए सरकार आरंभ से ही झूठ बोल रही है। जैसे मई के इस ऐलान के बाद कि दिसम्बर तक 218 करोड़ टीके की डोज उपलब्ध होंगी कि ठीक एक महीने के बाद जून' 2021 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि दिसंबर तक 135 करोड़ डोज ही उपलब्ध होगी मतलब मई के दावे ओर जून के हतफनामें में 81 करोड़ डोज का फर्क आ गया। हकीकत यह है कि मार्च-अप्रैल में वैक्सीन का आर्डर ही नहीं दिया गया और अब जो आर्डर हो रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। वैक्सीन के लिए इतना दबाव पड़ा तो सरकार ने जून में 108 करोड वैक्सीन का आर्डर दिया है जो उन्हें जनवरी में ही या पिछले वर्ष ही दे देना चाहिए था निश्चित रूप से यदि वैक्सीन को लेकर सरकार ने यह अपराधिक लापरवाही न की होती तो अप्रैल और मई महीने में मौत का जो भयानक तांडव ददेखने के लिए हम अभिशप्त हो गये थे, वह न होता। भारत सरकार के इस कुकृत्य को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।